

मुक्ताम गजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसारपत्र नियोजनों में देश परिवहनानाम गहगाई भत्ता
 कारोबारियों के पात्र संख्या-618-25 प्रयत्नम्-(एप्पोडब्ल्यू) / 15 दिनांक 05-10-2021 बजूतल गजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजस्व सं०-194 / 36-३-2014-07(चूपै०) / 4 दिनांक 28-01-2014 द्वारा 59 तथा 35विसृष्टि नियोजनों में नियोजित कर्मसूची हेतु गजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय गहगाई भत्ता का नियोजन करते हुए आगामन नियंत्रित किया गया था जिसके कालम-4 में टक्कण में त्रुटी को सारांशित करते हुए सरोकृत आगामन नियंत्रित किया जा रहा है।।।
 उक्त के अनुक्रम में नियोजित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मसूचियों के लिये अधिकृत भारतीय उपभोक्ता सूचकार्क अध्यादर वर्ष (2021-100) से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय गहगाई भत्ता नियमितिवित बुद्धान्त की भाँति गठन करके देय होगा।—
 दृष्टान्त- क्रमांक-5750/-प्रतिमाह गजदूरी पाने वाले अकृशत वर्षों के कर्मसूचियों को जीसात उपभोक्ता मूल सूचकार्क-345 पर (345-216) X 5750-क्र०-5757/-प्रतिमाह।

210

विभिन्न वर्षों के कर्मसूचियों को देय प्रतिमाह मूल गजदूरी परिवर्तनीय गहगाई भत्ता, भासिक एवं दैनिक गजदूरी की दरों नियांत्रित है।—

कर्मसूचि	वर्षों	प्रतिमाह मूल गजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय गहगाई भत्ता रूपये में			दिनांक 1.10.2021 से 31.3.2022 तक
			दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 त्र० 31.3.2022 तक	कुल गजदूरी (रूपये-म)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकृशत	5750	3328	3434	9184	363.23
2	अधिकृत	6325	3660	3777.29	10.102.29	389
3	कुशल	7085	4100	4231.16	11316.16	435.23

नियोजन के नाम—

- 1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- 2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- 3 मिछान उद्योग।
- 4 वासित यात्रा (एसेटेट ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- 5 फालो के रसों की विनिर्माणशाला।
- 6 परतादार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- 7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- 8 डीजी और मिल्क डेरी।
- 9 सिले सिलाये कृपड़ों की विनिर्माणशाला।
- 10 बौध तटबन्ध की विनिर्माण और अनुस्काण, सिचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- 11 उन समस्त रेजिस्ट्रीकेशन कारखानों में नियोजन, यिनका उत्तरेख पहले नहीं किया गया है।
- 12 प्राइवेट अस्पताल(लसिंग होम्स) एवं प्राइवेट बलीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
- 13 ढलाई घर।
- 14 धातु उद्योग।
- 15 टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- 16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
- 17 चमो शोधनशाला और चमो विनिर्माण शाला।
- 18 चमो परस्तु विनिर्माण उद्योग।
- 19 होजरी सकर्म।
- 20 निजी पुस्तकालय।
- 21 काष्ठ सकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- 22 प्राइवेट कोलेजिय कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सी स्कूल और निजी प्राधिकारिक सरसाए भी सम्भालित हैं।
- 23 तम्बाकू विनिर्माण।
- 24 धमेशाला।
- 25 यानिकी (फारेस्ट्री) लद्दा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में
- 27 याणिज्य अधिकानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक गोटर परिवहन।
- 31 धीत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
- 34 पश्चिम तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 धिक्कन के कार्य।
- 36 दिव्यालयाई उद्योग।
- 37 आटुसक्कीटी/आइसकीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 इफ्फा विनिर्माणशाला।
- 40 एस्पेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणकाला।

41 लापड़ा और घुसाई आवधान।
 42 जिल्दसारी।
 43 कौलड स्टोरेज।
 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफेक्ट्रोज।
 45 गिजी मुद्रणालय।
 46 सिनेमा उद्योग।
 47 कपड़ा छपाई।
 48 सिलाई उद्योग।
 49 एलोप्रेक्टिक, आयुर्वेदिक, धूनानी फार्मसी।
 50 बलब।
 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
 54 खापड़सारी।
 55 हथकरघा उद्योग।
 56 शवित चालित करघा उद्योग।
 57 छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
 58 जगज, गता और पेपर बोर्ड उद्योग।
 59 ईट भट्ठा उद्योग।
 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों)
 63 जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हो।
 64 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौधालयों का निर्माण(प्रतिरोध)
 65 अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के नियित किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
 66 घरेलू कामगारी का नियोजन।
 67 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 68 एस्टोरीजी० प्रिंटरण एवं सब्वित सेवाओं में नियोजन।
 69 टैक्सीज, आटोरिक्षा /टैम्पो एवं ट्रैक्सिंग अभिकरण में नियोजन।
 70 कोडिल आपरेटर एवं सब्वित सेवाओं में नियोजन।
 71 गैर सरकारी संगठन(एन०जी०ओ) एवं सब्वित सेवाओं में नियोजन।
 72 विक्रय सर्वर्डेन(विक्रय सर्वर्डेन(सेवा शर्ती)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने
 73 वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
 74 हेयर कटिंग सेल्स एवं यूटी पालर(पुक्ष एवं महिलाय) में नियोजन।
 75 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
 76 काल सेन्टर/आई०टी० इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
 77 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आचारित न हों, में नियोजन।

(आर०पी०गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या-618-25 / कार्यालय, अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
संख्या प्रवर्तन-(एम०डब्लू०) / 15 दिनांक ५/१०/२०२१

प्रतिलिपि-

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा अनुसूचित उ०प्र०शासन, अम अनुभाग-३, लखनऊ।
- सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- अनुसूचित उ०प्र०शासन, अम अनुभाग-३, लखनऊ।
- साहायक निदेशक, अम एवं रोजगार भंत्रालय, (विज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिकारी निदेशक उद्योग बघु लखनऊ।
- अपर श्रम आयुक्त(आई० आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयालय, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख देनिक समाचार पत्रों को जन सामाज्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(आर०पी०गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।